

15 copy

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्र मांक: एफ 14 () 20 / Transline / एफसीए / प्रमुखसं /

दिनांक :

वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति

झुंझुनू एवं बीकानेर जिलों में Diversion of forest land in favour of Bikaner Khetri Transmission Limited for Construction of Bikaner (PG) - Khetri (S/S) 765 KV D/C Line under Transmission System Associated with LTA application from Rajasthan SEZ Part-D" the state of Rajasthan. (प्रस्ताव सं. FP/RJ/TRANS/45697/2020) हेतु 5.9738 है० वनभूमि के प्रत्यावर्तन की शर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) , लखनऊ के पत्रांक 8वीं/राज/04/45/2020/एफसी/69 दिनांक 03/02/21 द्वारा जारी की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीनियर प्रोजेक्ट हेतु जारी दिशा-निर्देश क्र मांक 11-306/2014-एफसी दिनांक 28.08.2015 की अनुपालना में भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों के अध्याधीन प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है।

1. यह स्वीकृति जारी करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अंतरिम स्वीकृति प्रत्याहरित की जा सकती है एवं प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अंतरिम स्वीकृति अनुसार 1 वर्ष की अवधि में कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति में समय रहते अभिवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित उप वन संरक्षक के निर्देशानुसार/पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।

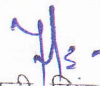
30
श्रुति शर्मा

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ 14 (20/Transline/एफसीए/प्रमुवसं/1357-67 दिनांक 26-5-21
प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचतार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक (एफसी डिवीजन), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई-दिल्ली-110001
2. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 (उ०प्र०)
3. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर।
5. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (IT), जयपुर को दी जाकर निवेदन है कि इस स्वीकृति की प्रति विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने का श्रम करावे।
6. मुख्य वन संरक्षक जयपुर/बीकानेर।
7. उप वन संरक्षक बीकानेर एवं उप वन संरक्षक झुंझुनू को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि समय-समय पर निरीक्षण कर अधिरोपित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करें।
8. बीकानेर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड, 400 के.वी. आर.आर.वी.पी.एन. जी.एस.एस., रायसर, बीकानेर, जयपुर रोड, बीकानेर
9. रक्षी पत्रावली।


भवानी सिंह

उप वन संरक्षक, एफसीए,
राजस्थान, जयपुर